ग्राम पंचायत चौली, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत चौली, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती ज्योति देवी	01-04-22 से 31-03-24

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री दिनेश कुमार	01-04-22 से 12-06-2022
2.	श्रीमती सिम्पी	13-06-2022 से 04.08.023
3.	श्रीमती शमा शर्मा	05-08-2023 से 31-03-24

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत चौली के अवधि "01-04-2022 से 31-03-2024" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.50
2.	05	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	35.91
3.	06	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.06
4.	07	विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति न करना	0.01
5.	08	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.06
6.	09	खनन सामग्री की आपूर्ति से समन्धित ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान करना	3.73
7.	10	क्रय किये गये सामान का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना	5.81
8.	11	दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.04
9.	12	निविदा में अंकित दर की अपेक्षा अधिकदर पर मदों का क्रय करने के कारण आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान करना	0.10
10.	13	निर्माण कार्य हेतु क्रय अतिरिक्त सामग्री का दुर्विनियोजन	0.01

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत चौली, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कॉंगड़ा के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2024" तक के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ

लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 24-09-2024 से 01-10-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, चौली में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/23	05/22
2023-24	02/24	02/24

अस्वीकरण (Disclaimer) :- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत चौली, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2022 से 31/03/2024" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹5,600**/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: दिनांक 01.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चौली से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत चौली द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/2022 से 31/03/2024" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} **स्व: स्त्रोत:-** ग्राम पंचायत चौली के अवधि "01/04/22 से 31/03/24" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	995661.72	132080.00	1127741.72	60662.00	1067079.72
2023-24	1067079.72	86514.00	1153593.72	101265.54	1052328.18

{ख} **अनुदान:-** ग्राम पंचायत चौली के अवधि "01/04/2022 से 31/03/2024" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	3263334.86	4538895.50	7802230.36	3906314.00	3895916.36
2023-24	3895916.36	3173305.00	7069221.36	3477959.43	3591261.93

{ग} दिनांक 31.03.24 को बैंक में शेष जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General/5TH FC/14TH FC/MMGPY	KCCB RAKKAR	20044009515	1616401.74
2.	15THFC	PNB KALOHA	96000102579753	2153768.82
3.	VKVNY	KCCB RAKKAR	50055901306	383537.55
4.	13TH FC	KCCB RAKKAR	50055900798	75165.00
5.	AAY	KCCB RAKKAR	50055900936	554.00
6.	BMC	PNB KALOHA	1396000102579780	14282.00
7.	14TH FC	INDUSIND BANK	100202156328	869.50

8.	SDP	KCCB RAKKAR	50055900903	211272.50
9.	MPLAD	KCCB RAKKAR	50055901623	66632.00
10.	GENERAL/5TH FC	KCCB RAKKAR	50055901419	423.00
11.	RGSA	INDUSIND BANK	100202156328	68001.00
12.	**हस्तगत रोकड़**			2895.00
कुल योग				**4593802.11**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-24 को बैंक अनुसार अन्त शेष	4593802.11
दिनांक 31-03-24 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	4643590.11
अंतर	**49788.00**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹0.50 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31-03-24 को **₹49788.00** की राशि का अन्तर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 391(1) दिनांक 01.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चौली से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी

अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPC/DN-44 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान कर लिया जायेगा व जिससे आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा ।

अत: अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए अन्यथा अन्तर की राशि की वसूली उचित स्रोत से कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में भी पंचायत की रोकड़ बहियों एवं बैंक शेषों के साथ का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 10(3) के अनुसार सचिव द्वारा केवल एक हज़ार तक की राशि ही हस्तगत रखी जा सकती है |

अंकेक्षण के दौरान पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को ₹2895.00 हस्तगत राशि के रूप में रखा गया था जोकि उपरोक्त नियम के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है |

अत: परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त नियम की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

4.4 निर्देशानुसार अलग – 2 स्कीमों के लिए अलग – 2 बैंक खाते न खोलना :-

निदेशक पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अलग – 2 स्कीमों के लिये अलग – 2 खाते खोले जाने अपेक्षित हैं |

पंचायत द्वारा खाता "क", "ख" के अंतर्गत General/5TH FC/14TH FC/MMGPY व GENERAL/5TH FC आदि स्कीमों के लिए हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लंघन करते हुये एवं पूर्वोक्त पत्रांक में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध General/5TH FC/14TH FC/MMGPY स्कीमों के लिए एक ही बैंक खाता, कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक प्रागपुर में खाता संख्या 20044009515 व GENERAL/5TH FC स्कीमों के लिए एक और बैंक खाता संख्या

50055901419 कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक प्रागपुर में खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज के निर्देशों की अवेहलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान, ब्याज व भुगतान /व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः इस अनियमितता का वस्तुस्थिति अनुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार तुरंत प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अम्ल में लाई जाए।

4.5 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है तथा इन कार्यों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं, जिसमें से कुछ दृष्टांत मामलों का विवरणनिम्नानुसार है :-

अनुदान/शीर्ष	वाउचर संख्या /दिनांक	कार्य का नाम	राशि
14TH FC	P14/24.05.2022	UP gradation of Path Harbanshlal house to Hansh Raj	6390
14TH FC	P15/24.05.2022	C/O path link road to Balinder House	20767
15TH FC	P18/27.05.2022	C/O Boundary Wall CampusePanchayatGhar	47018
15TH FC	P19/27.05.2022	C/O Hall PanchayatGharChaouli	13976

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 391(6) दिनांक 01.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चौली से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPC/DN-44 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5. अनुदान राशि ₹35.91 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है |

पंचायत द्वारा अनुदानों से सबंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट-1"** के अनुसार दिनांक 31-03-24 तक अनुदान राशि ₹3591261.93 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 391(2) दिनांक 01.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चौली से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPC/DN-44 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: शेष अनुदानों के सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतू व्यय करना सुनिश्चित किया जाये |

6. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.06 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹5550 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर :-

वर्ष	**पंजीकृत परिवारों की संख्या**	**दर**	**आ. शेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2022-23	690	50	32150	34500	66650	66400	250
2023-24	706	50	250	35300	35550	30000	5550

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी एवं मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं करने के फलस्वरूप लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता नहीं लगाया जा सका। गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का

संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 391(3) दिनांक 01.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPC/DN-44 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए ।

7. विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की प्राप्ति न करने बारे

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई . आर. डी. पी./बी.पीएल. श्रेणी के लिए ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों से 90 दिनों के भीतर ₹400 (सामान्य श्रेणी) से व ₹50 आई . आर. डी. पी./बी.पीएल श्रेणी से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है |

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 04/22 से 03/24 के दौरान निम्नलिखित आवेदकों का पंजीकरण किया गया था | परन्तु उक्त अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित आवेदकों से विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति नहीं की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार से है:-

क्रम संख्या	आवेदक का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	प्राप्ति योग्य राशि (₹)
1.	श्री रिशू ठाकुर पुत्र श्री परमजीत सिंह	20.04.2022	03.05.2022	200
2.	श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री बलदेव सिंह	17.02.2023	13.04..2023	400
कुल योग				**600/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 391(5) दिनांक 01.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPC/DN-44 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति उचित स्त्रोत से करके प्राप्त की गई राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8. विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.06 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या – SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के

नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाना अपेक्षित है :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान निम्नलिखित विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि (₹)**
1	2022-23	3600
2	2023-24	2800
कुल योग		**6400**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 391(4) दिनांक 01.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPC/DN-44 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शुल्क को जल्द ही सरकारी कोष में जमा करके आगामी अंकेक्षण में सूचित कर दिया जाएगा ।

अत: विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिए गये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये |

09 खनन सामग्री की आपूर्ति से समन्धित ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹3.73 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-

डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार सविंदाकारों/विक्रेताओं (Contractor/Vendor) से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" जमा करवाने उपरांत ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट -3** में सलंग्न विवरण के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की वैध स्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को चुनिंदा मासों के दौरान ₹373384/- का अनियमित भुगतान व पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवेहलना है, के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 392(1) दिनांक 01.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPC/DN-44 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों/निर्देशों की जानकारी के आभाव के कारण फॉर्म "X या W" नहीं लिए गए अत: भविष्य में खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित फॉर्म "X या W" प्राप्त करके ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जायेगा उतर नियमों/निर्देशों के विरुद्ध होने के कारण संतोषजनक नहीं है , क्योंकि निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" की प्राप्ति उपरांत ही किये जाने थे।

अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरुद्ध एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के विरुद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस

प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. क्रय किये गये सामान राशि `5.81 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय कियेगये सामान का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है|

अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान की गई खरीद के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹581212/-** के स्टॉक को क्रय उपरांत स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नही किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में इस प्रकार की त्रुटियों के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है :-

क्रम संख्या	शीर्ष	वाउचर संख्या /बिल संख्या/ दिनांक	बिल/भुगतान की तिथि	फर्म का नाम	विवरण	मात्रा	राशि (₹)
1.	**मनरेगा**	34 दिनांक 18.11.21	19.05.22	मै. पंकज कुमार	बोल्डर	1300 CFT	15353
2.	**मनरेगा**	71 दिनांक 30.07.21	19.05.22	मै. पंकज कुमार	रेत बजरी	300 CFT 350 CFT	1237
3.	**मनरेगा**	47 दिनांक 01.02.22	19.05.22	मै. पंकज कुमार	रेत बजरी बोल्डर	200 CFT 400 CFT 100 CFT	15069
4.	**मनरेगा**	39 दिनांक 17.12.22	19.05.22	मै. पंकज कुमार	रेत बजरी बोल्डर Bricks	135 CFT 65 CFT 85 CFT 250 NOS	8300
5.	**मनरेगा**	47 दिनांक 01.02.22	19.05.22	मै. पंकज कुमार	रेत बजरी बोल्डर	200 CFT 400 CFT 100 CFT	15069

6.	**मनरेगा**	40 दिनांक 17.12.21	19.05.22	मै. पंकज कुमार	रेत बजरी बोल्डर Bricks	82 CFT 115 CFT 95 CFT 60 NOS	7179
7.	**मनरेगा**	36 दिनांक 12.09.21	19.05.22	मै. पंकज कुमार	रेत बजरी	350 CFT 550 CFT	25880
8.	**मनरेगा**	0000285 दिनांक 18.08.21	19.05.22	मै. हि. प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट बैग	28	8946
9.	**मनरेगा**	0000286दिनांक 18.08.21	19.05.22	मै. हि. प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट बैग	28	4154
10.	**मनरेगा**	73 दिनांक 26.03.22	19.05.22	मै. पंकज कुमार	रेत बजरी बोल्डर	80 CFT 80 CFT 80 CFT	4924
11.	**मनरेगा**	23450 दिनांक 29.12.21	19.05.22	मै. हि. प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट बैग	50	15975
12.	**मनरेगा**	73 दिनांक 26.03.22	19.05.22	मै. चंबा टाइल्स	टाइल्स	500 NOS	6165
13.	**मनरेगा**	926 दिनांक 09.12.21	19.05.22	मै. पंकज कुमार	बजरी बोल्डर	150 CFT 400 CFT	48010
14.	**मनरेगा**	64 दिनांक 11.03.22	19.05.22	मै. पंकज कुमार	रेत बजरी बोल्डर	1400 CFT 1500 CFT 200 CFT	99603
15.	**मनरेगा**	46 दिनांक 01.02.22	19.05.22	मै. पंकज कुमार	रेत बजरी बोल्डर	500 CFT 500 CFT 500 CFT	25540
16.	**मनरेगा**	74 दिनांक	19.05.22	मै. पंकज	रेत	450 CFT	36552

		26.03.22		कुमार	बजरी बोल्डर	1000 CFT 400 CFT	
17.	**मनरेगा**	17434 दिनांक 24.02.22	19.05.22	मै. हि. प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट बैग	110	35145
18.	**मनरेगा**	19471 दिनांक 17.03.22	19.05.22	मै. हि. प्र. सिविल सप्लाई	सीमेंट बैग	140	44730
19.	**मनरेगा**	66 दिनांक 11.03.22	19.05.22	मै. पंकज कुमार	रेत बजरी	250 CFT 365 CFT	15160
20.	**मनरेगा**	769 दिनांक 01.01.22	19.05.22	मै. लक्ष्मी ट्रेडिंग	सरिया	10MM – 182.40 kg 8 MM – 35.22 kg	13000
21.	**मनरेगा**	766 दिनांक 01.01.22	19.05.22	मै. लक्ष्मी ट्रेडिंग	सरिया	10MM – 182.40 kg 8 MM – 35.22 kg	13000
22.	**मनरेगा**	786 दिनांक 01.01.22	19.05.22	मै. लक्ष्मी ट्रेडिंग	सरिया	10MM – 182.40 kg 8 MM – 35.22 kg	13000
23.	**14^{TH} FC**	P/16 दिनांक 24.05.22	A000095/ 14.05.22	मै. एम. आर इलेक्ट्रिक	Havels Fan, PVC junction Box, MC Box etc.	---	12179
24.	**14^{TH} FC**	P/24 दिनांक 31.05.22	A000095/ 14.05.22	मै. श्री गणेश	एल्युमीनियम दरवाजा	-- --	10404

					एल्युमीनियम ग्रिल्स		
25.	**14TH FC**	P/25 दिनांक 31.05.22	14/ 26.05.22	मै. साधू हार्डवेयर स्टोर	Sanitary Equipment	--	11118
26.	**14TH FC**	P/29 दिनांक 31.05.22	116/ 14.05.22	मै. नरेंदर कुमार सूद	Iron Angle, MS Pipe	--	75520
			कुल योग				**581212/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 392(5) दिनांक 01.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPC/DN-44 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित करने के कारण राशि ₹0.04 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान करने बारे :-

निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या पी. सी. एच .(1) 5/2009-II-Instructions-67441-532 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार यदि पंचायत सदस्य द्वारा एक ही दिनांक को दो जगह हाजरी लगाने का प्रकरण सामने आता है, तो ऐसे में वार्ड सदस्य के विरुद्ध धन राशि की वसूली सहित निलबंन तथा पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सदस्य द्वारा ग्राम पंचायत वैठक व मनरेगा मस्टरोल में एक ही दिन दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित किया गया था जोकि उक्त पत्र के दिशा निर्देशों की स्पष्ट उलंघना है | उपरोक्त वित्तीय अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	पंचायत सदस्य का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल तथा पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)
1	सरोज कुमारी	..... 919...... 1.05.2023 से 15.05.2023	C/O Link road LambardarBasti to Bharoli	08.05.2023	500	240
2	सुमन देवी	..... 660...... 16.04.2023 से 30.04.2023	Land laveling on Vindokumar and Gouravkumar land	24.04.2023	500	240
3	स्वर्ण लता	..... 7507...... 16.01.2024 से 31.01.2024	C/O Protecion Wall near of Sunita Devi w/o Ram Krishan Land	20.01.2024	500	240
4	रीता देवी	..... 7509...... 16.01.2024 से 31.01.2024	C/O Protecion Wall near of parkashchand S/O laxmichand	20.01.2024	500	240
5	कमलजीत सिंह	..... 7513...... 16.01.2024 से 31.01.2024	C/O Park at village Basalag	20.01.2024	500	240
6	सुमन देवी	..... 7518...... 16.01.2024 से 31.01.2024	C/O link road cheedpacca well to Banbarilal, jagirsingh house ward no. 3	20.01.2024	500	240
7	हरबंश लाल	..... 8178...... 16.02.2024 से 29.02.2024	C/O Protecion Wall near nearchampa devi cattle shed	26.02.2024	500	240

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 392(3) दिनांक 01.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPC/DN-44 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अनियमित भुगतान की वसूली कर ली जाएगी और आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त पत्र के निर्देशों की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाये व अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 निविदा में अंकित दर की अपेक्षा अधिक दर पर मदों का क्रय करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार सम्बन्धित पंचायत सचिव किसी भी अधिक भुगतान की तुरन्त वसूली हेतु उत्तरदायी होगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार सामग्री की आपूर्ति हेतु मै. पंकज कुमार को भुगतान किया गया था परन्तु सामग्री की आपूर्ति के क्रय दर की पुष्टि हेतु वर्ष 2021-22 की निविदाओं से तुलना करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा सामग्री का क्रय निविदा में अंकित दर के अपेक्षा अधिक दर पर किया गया था जिसके फलस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹9615 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बिल संख्या / दिनांक	भुगतान की तिथि	मद का विवरण	कुल मात्रा	अदायगी दर (₹)	अदायगी की गई राशि (₹)	निविदा में अंकित दर (₹)	निविदा की दर के अनुसार भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	मनरेगा	14/30.07.21	19.05.22	सीमेंट की ढुलाई	135	30	4050	20	2700	1350

2	मनरेगा	15/30.07.21	19.05.22	सीमेंट की ढुलाई	14	30	420	20	280	140
3	मनरेगा	17/30.07.21	19.05.22	सीमेंट की ढुलाई	14	30	420	20	280	140
4	मनरेगा	18/30.07.21	19.05.22	सीमेंट की ढुलाई	165	30	4950	20	3300	1650
5	मनरेगा	60/08.03.22	19.05.22	सीमेंट की ढुलाई	155	30	4650	20	3100	1550
6	मनरेगा	59/08.03.21	19.05.22	सीमेंट की ढुलाई	110	30	3300	20	2200	1100
7	मनरेगा	36/12.09.21	19.05.22	रेत	350 CFT	20(GST EXTRA)	7350	24.90 (GST EXTRA)	9151	(- 1801)
				बजरी	550 CFT	32 (GST EXTRA)	18480	22.50 (GST EXTRA)	12994	5486
कुल योग										**9615**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 392(6) दिनांक 01.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPC/DN-44 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान को या तो पूर्णतया न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा वस्तुस्थिति अनुसार उचित स्त्रोत से वसूली करने के उपरांत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी दोबारा ना दोहराई जाये। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य मामलों की विभागीय स्तर पर विस्तृत जांच कर वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्यवाही से भी अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

13. निर्माण कार्य हेतु अनावश्यक रूप से क्रय अतिरिक्त सामग्री के दुर्विनियोजन के कारण राशि ₹898/- का अधिक/अनियमित भुगतान करने बारे :-

निर्माण कार्य **C/O KhurliPacca Floor Urinpit near SarojKumari w/o Desh Raj wardno. 4** के अंकेक्षण में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 11225 पृष्ठ संख्या 21-22 में उक्त निर्माण कार्य के लिए सामग्री (बोल्डर) का निष्पादन 5.09 घन मी० दर्शाया गया था व बोल्डर की collection लेवर (labour) के द्वारा 5.00 घन मी० की गई दर्शाई गई थी, उक्त Collection के अतिरिक्त पंचायत द्वारा बिल संख्या 73 दिनांक 26.03.2022 के अनुसार 80 घन फुट बोल्डर का अतिरिक्त क्रय इस कार्य हेतु था किया गया था परन्तु इसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी व इस कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों की नियमानुसार सक्षम उच्च तकनीकी अधिकारी द्वारा नमूना जांच एवं सत्यापन भी नहीं की गई थी एवं हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (1) (iii) की अनुपालना में बिल का सन्दर्भ भी इस कार्य के लागत सार (Abstract of cost) में उल्लेखित नहीं था। अतः ऐसी स्थिति में इसके दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जब 5.00 घन मी० बोल्डर का संग्रहण (collection) लेबर Labour द्वारा किया गया था तो अतिरिक्त 80 घन फुट बोल्डर को क्रय करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः अनावश्यक रूप से अतिरिक्त क्रय किये गये बोल्डर के समुचित लेखांकन के अभाव के कारण पंचायत द्वारा राशि ₹898/- के अतिरिक्त भुगतान के फलस्वरूप इसका दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	मद	माप पुस्तिका के अनुसार मद की निष्पादित मात्रा	माप पुस्तिका के अनुसार लेबर(labour) के द्वारा collection की गई बोल्डर मात्रा	निष्पादित मात्रा व (labour) के द्वारा collection की गई बोल्डर मात्रा में अंतर (A)	क्रय सामग्री का नाम	क्रय सामग्री की मात्रा (B)	अंतर (A-B)	दर	अधिक भुगतान
1	Boulder filling under the floor hand packed	5.09 घन मी० या 179.73 घन फुट	5.00 घन मी० या 176.55 घन फुट	.09 घन मी० या (4 घन फुट)	(बोल्डर)	80 घन फुट	76 CFT	11.25 (GST EXTRA)	898

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 392(7) दिनांक 01.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPC/DN-44 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त क्रय की गई निर्माण सामग्री को नियमानुसार पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित व्यय जैसे ढुलाई आदि सहित उचित स्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों हेतु क्रय सामग्री का नियमानुसार क्रॉस सन्दर्भ उनके लागत सार (Abstract of cost) में दिया जाना एवं माप पुस्तिका में दर्ज उनकी रिकार्ड प्रविष्टियों की नियमानुसार नमूना जांच एवं सत्यापना सक्षम उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा करवाना सुनिश्चित करें।

14 बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है:-

क्र० सं०	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1.	2022-23	05/22	1177621.00
2.	2023-24	02/24	914934.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 392(2) दिनांक 01.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPC/DN-44दिनांक 01.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

15. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 05/22 व 02/24 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि माह 05/22 व 02/24 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है|

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 392(3) दिनांक 01.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPC/DN-44 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

16. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव के चलते क्रोस मोनिटरिंग के अभाव में किसी भी स्तर पर धन, एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है :-

क्र. स.	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)
2	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
3	बिल रजिस्टर	13	48

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 392(8) दिनांक 01.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPC/DN-44 दिनांक 01.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

17. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 392(9) दिनांक 01.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके पत्र संख्या GPC/DN-44दिनांक 01.10.2024

द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिए गये आश्वासन के द्दष्टिगत उपरोक्त नियम की औपचारिक्ताओं को पूरा किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

18. लघु-आपति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

19. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

02 JAN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति०

55–59

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(2)444/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि०प्र०।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा (हि०प्र०)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत चौली, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 JAN 2025
02 JAN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति०

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT CHOULI BLOCK PRAGPUR DISTRICT KANGRA PINCODE 177043

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	995661.72	132080.00	1127741.72	60662.00	1067079.72

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **995661.72**

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT CHOULI BLOCK RAIT DISTRICT KANGRA PINCODE 177043

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2023-24	1067079.72	86514.00	1153593.72	101265.54	1052328.18

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK **1067079.72**

Lama

PANCHAYAT SECRETARY
GRAM PANCHAYAT CHAULI
DEV. BLOCK [illegible] (H.P.)

Total Checked
J.A

26

परिशिष्ट-1 पैरा 5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP CHOULI BLOCK PRAGPUR FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	1015995.86	2232.00	1018227.86	746561.10	271666.76
2	MGNREGA	0.00	1805166.00	1805166.00	1805166.00	0.00
3	VKVNY	256006.00	457799.00	713805.00	192549.60	521255.40
4	5TH FC	129558.00	165312.00	294870.00	167490	127380.00
5	NRHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	62871.00	1793.00	64664.00	0.00	64664.00
7	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SDP	188591.00	516210.50	704801.50	403985.6	300815.90
9	AAY	522.00	16.00	538.00	0.00	538.00
10	13TH FC	70924.00	2022.00	72946.00	0.00	72946.00
11	BMC	13532.00	370.00	13902.00	0.00	13902.00
12	NRHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	VMJS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1525335.00	1587975.00	3113310.00	590561.70	2522748.30
	TOTAL	3263334.86	4538895.50	7802230.36	3906314.00	3895916.36

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP CHOULI BLOCK PRAGPUR FOR THE YEAR 2023-24						
S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	271666.76	24.00	271690.76	9967.00	261723.76
2	MGNREGA	0.00	1219403.00	1219403.00	1219403.00	0.00
3	VKVNY	521255.40	260302.00	781557.40	398019.65	383537.75
4	5TH FC	127380.00	346518	473898.00	243900	229998.00
5	NRHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	64664.00	1968	66632.00	0	66632.00
7	RGSA	0.00	516625.00	516625.00	448624.00	68001.00
8	SDP	300815.90	147240	448055.90	236783.9	211272.00
9	AAY	538.00	16.00	554.00	0.00	554.00
10	13TH FC	72946.00	2219.00	75165.00	0.00	75165.00
11	BMC	13902.00	380.00	14282.00	0.00	14282.00
12	NRHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	VMJS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMGPY	0.00	300000.00	300000.00	223460.00	76540.00
16	15TH FC	2522748.30	378610.00	2901358.30	697801.88	2203556.42
	TOTAL	3895916.36	3173305.00	7069221.36	3477959.43	3591261.93

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF GRANT IN AID AS ON 01-04-2023 IN CASH BOOK **3895916.36**

Lama
PANCHAYAT SECRETARY
GRAM PANCHAYAT CHAULI
DEV. BLOCK PRAGPUR, KANGRA (H.P)

27

हस्ताक्षर...
दिनांक...

Total Checked
J.A

BANK DETAIL OF GP CHOULI BLOCK PRAGPUR DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC/14TH FC/MMGPY	KCCB RAKKAR	20044009515	1721989.38
2	15THFC	PNB KALOHA	96000102579753	1525335.00
3	VKVNY	KCCB RAKKAR	50055901306	256006.00
4	13TH FC	KCCB RAKKAR	50055900798	70924.00
5	AAY	KCCB RAKKAR	50055900936	522.00
6	BMC	PNB KALOHA	1396000102579780	13532.00
7	14TH FC	PNB KALOHA	96006900000082	441386.00
8	SDP	KCCB RAKKAR	50055900903	188591.00
9	MPLAD	KCCB RAKKAR	50055901623	62871.00
10	GENERAL/5TH FC	KCCB RAKKAR	50055901419	399.00
		CASH IN HAND		520.00
		TOTAL		**4282075.38**

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC/14TH FC/MMGPY	KCCB RAKKAR	20044009515	1436802.28
2	15THFC	PNB KALOHA	96000102579753	2522748.30
3	VKVNY	KCCB RAKKAR	50055901306	521255.40
4	13TH FC	KCCB RAKKAR	50055900798	72946.00
5	AAY	KCCB RAKKAR	50055900936	538.00
6	BMC	PNB KALOHA	1396000102579780	13902.00
7	14TH FC	INDUSIND BANK	100202156328	845.50
8	SDP	KCCB RAKKAR	50055900903	300816.40
9	MPLAD	KCCB RAKKAR	50055901623	64664.00
10	GENERAL/5TH FC	KCCB RAKKAR	50055901419	411.00
		CASH IN HAND		1482.00
		TOTAL		**4936410.88**

PANCHAYAT SECRETARY
GRAM PANCHAYAT CHAULI
DEV. BLOCK PRAGPUR, KANGRA (H.P)

28

BANK DETAIL OF GP CHOULI BLOCK PRAGPUR DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-24

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General/5TH FC/14TH FC/MMGPY	KCCB RAKKAR	20044009515	1616401.74
2	15THFC	PNB KALOHA	96000102579753	2153768.82
3	VKVNY	KCCB RAKKAR	50055901306	383537.55
4	13TH FC	KCCB RAKKAR	50055900798	75165.00
5	AAY	KCCB RAKKAR	50055900936	554.00
6	BMC	PNB KALOHA	1396000102579780	14282.00
7	14TH FC	INDUSIND BANK	100202156328	869.50
8	SDP	KCCB RAKKAR	50055900903	211272.50
9	MPLAD	KCCB RAKKAR	50055901623	66632.00
10	GENERAL/5TH FC	KCCB RAKKAR	50055901419	423.00
11	RGSA	INDUSIND BANK	100202156328	68001.00
CASH IN HAND				2895.00
TOTAL				4593802.11

PANCHAYAT SECRETARY
GRAM PANCHAYAT CHAULI
DEV. BLOCK PRAGPUR, KANGRA (H.P)

Total checked
J.A

हस्ताक्षर

29

परिशिष्ट - ख पैरा - 6 के सन्दर्भ में

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT CHOULI BLOCK PRAGPUR DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	690	50	32150	34500	66650	66400	250

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-24 OF GRAM PANCHAYT CHOULI BLOCK PRAGPUR DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2023-24	706	50	250	35300	35550	30000	5550

PANCHAYAT SECRETARY
GRAM PANCHAYAT CHAULI
DEV. BLOCK PRAGPUR, KANGRA (H.P.)

प्रधान ग्राम पंचायत चौली
वि. खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा

हस्ताक्षर..........

दिनांक..........

Total checked

30

ग्राम पंचायत चौली

परिशिष्ट -3 (पैरा-1 के संदर्भ में)

चयनित मासों के दौरान खनन सामग्री की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं को किये गये भुगतानों का विवरण :-

क्रम संख्या	शीर्ष	वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या/दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री का विवरण			बिल राशि	निर्माण कार्य का नाम
					रेत (CFT)	बजरी (CFT)	पत्थर		
1.	मनरेगा	शून्य	034/ 18/11/2021	मै.पंकज कुमार	-	-	1300	14625	निर्माण क्रेट नजदीक प्रकाश चंद सपुत्र सीता राम
2.	मनरेगा	शून्य	047/ 01/02/2022	मै.पंकज कुमार	200	400	300	14355	निर्माण कुहल प्रेम चंद घर से सत्संग घर
3.	मनरेगा	शून्य	071/ 26/03/2022	मै.पंकज कुमार	300	350	-	7750	निर्माण कुहल प्रेम चंद घर से सत्संग घर
4.	मनरेगा	शून्य	039/ 27/12/2021	मै.पंकज कुमार	135	65	85	5780	निर्माण खुरली पका फ्लोर दलेर सिंह व विजय कुमार घर
5.	मनरेगा	शून्य	040/ 30/07/2021	मै.पंकज कुमार	82	115	95	5698.05	निर्माण खुरली पका फ्लोर ओम दत्त सपुत्र तुलसी राम घर
6.	मनरेगा	शून्य	036/ 09/12/2021	मै.पंकज कुमार	350	550	-	25830	निर्माण टैंक अश्वनी कुमार घर
7.	मनरेगा	शून्य	926/ 09/12/2021	मै.पंकज कुमार	-	150	400	14382	निर्माण रास्ता /डंगा नजदीक राज कुमार घर
8.	मनरेगा	शून्य	064/ 11/03/2022	मै.पंकज कुमार	1400	1500	200	62360	निर्माण लिंक रोड रोड से ओम दत्त घर
9.	मनरेगा	शून्य	046/ 01/02/2022	मै.पंकज कुमार	500	500	500	25541	निर्माण लिंक रोड होशियार सिंह घर से बाबा बालक नाथ मंदिर
10	मनरेगा	शून्य	074/ 26/03/2022	मै.पंकज कुमार	450	100	400	25162	निर्माण लिंक रोड होशियार सिंह घर से बाबा बालक नाथ मंदिर
11	14 वा वितयोग	P/18 27/05/ 2022	001/ 01/05/2022	मै.चेतन शर्मा	250	200	1000	26400	निर्माण चारदीवारी पंचायत घर
12	14 वा वितयोग	P/19 27/05/ 2022	002/ 01/05/2022	मै.चेतन शर्मा	335	45	-	11310	निर्माण हाल पंचायत घर
13	14 वा वितयोग	P/20 27/05/ 2022	003/ 01/05/2022	मै.चेतन शर्मा	40	35	-	2180	पूर्ति कार्य पंचायत घर
14	14 वा वितयोग	P/21 27/05/ 2022	004/ 15/05/2022	मै.चेतन शर्मा	335	635	500	31190	निर्माण रास्ता लिंक रोड से बलबिन्दर के घर तक
15	14 वा वितयोग	P/22 27/05/	005/ 02/05/2022	मै.चेतन शर्मा	260	225	-	12380	पूर्ति कार्य हरबंश के घर से हंस राज के घर

(31)

		2022							तक
16	VKVNY	P/19 21/02/ 2024	233/ 07/02/2024	मे जय ज्वाला ट्रेडर्स	325	597	-	23629	निर्माण रास्ता व बचाव दिवार सुरेश कुमार सपुत्र बीरू राम घर तक
16.	MMGPY	P/6 21/02/ 2024	230/ 02/02/2024	मे जय ज्वाला ट्रेडर्स	375	750	275	32406	निर्माण रास्ता चीड कुआ के पास से बनबारी लाल घर से जागीर सिंह घर तक
17	MMGPY	P/6 21/02/ 2024	231/ 02/02/2024	मे जय ज्वाला ट्रेडर्स	375	750	275	32406	निर्माण रास्ता चीड कुआ के पास से बनबारी लाल घर से जागीर सिंह घर तक
	कुल योग							373384.05	

PANCHAYAT SECRETARY
GRAM PANCHAYAT CHAULI
DEV. BLOCK FRAGPUR, KANGRA (H.P)

32